कार्यालय प्रधानाचार्य
कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर।

ई–मेल:ksgmcbsr@gmail.com
वेबसाइट: http://ksasmcbulandshahr.org/

पत्रांक: KSGMC/BSR/2023/1199
दिनांक: 12.10.2023

–: वाक–इन–इंटरव्यू :–

कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर के विभिन्न विशिष्टताओं/विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के क्रम में एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानको के पूर्ति हेतु कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर के विभिन्न विशिष्टताओं/विभागों में आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को संविदा का आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतदद्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु नवीनतम एन0एम0सी0 मानको के अनुसार अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों एवं लागू जाति/ई0एस0डब्लू0 प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति के दो सैट, बायोडाटा, एन0ओ0सी0(वर्तमान कार्यस्थल से), 2 पासपोर्ट फोटो एवं अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्रों सहित संलग्न प्रारूप के साथ कार्यालय कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में उपस्थित हो।

चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्ते कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर की वेबसाईट–http://ksasmcbulandshahr.org/ पर उपलब्ध है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिये कोई यात्रा भत्ता और मंगाई भत्ता मान्य नहीं होगा।

क्र. सं.	विशिष्टता	आचार्य		सह आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदो की संख्या	श्रेणी	पदो की संख्या	श्रेणी	पदो की संख्या	श्रेणी
1	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायनकोलॉजी	--	--	01	UR	--	--
2	इमिनोहिमैटोलोजी एण्ड ब्लड ट्रांसफयूजन (ब्लड बैंक)	--	--	--	--	01	UR
3	इमरजेन्सी मेडिसिन	--	--	01	OBC	01	SC
4	एनेस्थीसियोलॉजी	--	--	--	--	01	UR
5	जनरल मेडिसिन	01	SC	01 01	UR OBC	01	OBC
6	जनरल सर्जरी	--	--	--	--	01	SC
7	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसन	--	--	01	EWS	--	--
8	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	--	--	01	SC	--	--
9	पीडियाट्रिक्स	--	--	01	OBC	--	--
10	फार्माकोलॉजी	--	--	01	SC	--	--
11	फिजियोलॉजी	01	OBC	--	--	--	--
12	बायोकेमिस्ट्री	--	--	01	OBC	01	OBC
13	रेडियो–डायग्नोसिस	--	--	01	OBC	01	SC
14	साइकियाट्री	--	--	01	EWS	--	--

उक्त संविदारत पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य/चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अंतिम चयन महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर से पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों को समय–समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

<u>उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है:–</u>

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या–101/2019/5004(1)271–1–जी–63/2008 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन (आचार्य हेतु रू0 135000.00, सह आचार्य हेतु रू0 120000.00 तथा सहायक आचार्य हेतु रू0 90000.00) प्रतिमाह देय होगा।
2. वेतन के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

Principal
Kalyan Singh Govt. Medical College
Bulandshahr

प्रधानाचार्य
कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बुलन्दशहर।

Scanned with OKEN Scanner

3. चिकित्सा शिक्षकों की तैनाती अर्हता एंव शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली 2022–23 में निहित के अुनसार होगी। (Saving Clause- Not with standing anything contained in these Regulation, any appointment made under the Minimum Qualification for Teacher in Medical Institution Regulation, 1998 or the recommendation of Councils prior to that, shall be protected.)
4. शासनादेश संख्या–562/71–1–2000–जी–63/2008 दिनांक 10.06.2020 के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों की संविदा पर अधिकतम आयु सीमा सहायक आचार्य–60 वर्ष, सह आचार्य–64 वर्ष एवं आचर्या–68 वर्ष निर्धारित हे। उक्त आयु वाले ही अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।
5. **आवेदन शुल्कः–** रू0 500.00(रू0 पांच सौ मात्र) का आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "प्रधानाचार्य, कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर" के पक्ष में देय होगा।
6. संस्थान में प्रतिदिन निर्धारित कार्य अवधि(प्रातः 08:00 बजे से सायं 04.00 बजे तक) में प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
7. ओ0पी0डी0 (कॉल–डे) के दिन संविदा चिकित्सा शिक्षक प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगें।
8. संविदा चिकित्सा शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान प्रधानाचार्य को सूचित करना होगा।
9. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्व चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः साक्षात्कार के उपरान्त बढ़ाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें नियमित नियुक्ति के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संजोषजनक न पाये जाने पर एक माह के नोटिस देकर भी सेवायें समाप्त की जा सकती है।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
13. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितिकरण अथवा स्थायीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगें कि "उनके विरूद्व माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक बाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्व कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
15. कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगें कि वे अन्यत्र कार्यरत नहीं है।
16. नियमानुसार आरक्षण लागू होगा एवं समय–समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न मिलने की दशा में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को संविदा पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मिलने तक नियुक्त किया जा सकता है।
17. साक्षात्कार के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से ज्यादा और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र 6 माह से ज्यादा का मान्य नहीं होगा। उपरोक्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त पर ही मान्य होगा।
18. पदो की संख्या घट बढ़ सकती है।

Principal
Kalyan Singh ... Medical College

प्रधानाचार्य
कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बुलन्दशहर।

Scanned with OKEN Scanner